भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2484

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

आंध्र प्रदेश में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थी

2484. कुमारी गोड्डेति माधवी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और इसके तहत वितरित खाद्यान्न की राज्य-वार मात्रा कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा न होने के कारण पीएमजीकेएवाई के तहत लाभ प्राप्त करने से मनाही के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नोटिस के बाद, लाभार्थियों तक इसकी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, विभाग द्वारा देश में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्नों का नि:शुल्क वितरण करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न आवंटित किया गया है। उक्त स्कीम के तहत वितरित खाद्यान्नों की मात्रा की आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-1** में और एनएफएसए लाभार्थियों की सूची **अनुबंध-2** में दी गई है।

(ग): विभाग ने आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08/02/2017 को जारी (समय-समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना के तहत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को राशन कार्डों की आधार सीडिंग का कार्य पूरा करने के लिए दी गई समय-सीमा को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। तब तक के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र राशन कार्डों/लाभार्थियों को सूची से हटाया नहीं जाएगा और केवल आधार संख्या के अभाव में या केवल आधार संख्या न होने, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग समस्याओं या किसी अन्य तकनीकी कारणों आदि से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के आधार पर एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के उनकी पात्रता कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2484 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल 2020 से 9 दिसम्बर 2022 तक पीएम-जीकेएवाई के तहत वितरित खाद्यान्नों की मात्रा

(आंकड़ें टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल वितरण
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,772
2	आंध्र प्रदेश	26,45,092
3	अरूणाचल प्रदेश	1,02,280
4	असम	31,42,258
5	बिहार	1,05,82,970
6	चंडीगढ़	32,348
7	छत्तीसगढ़	26,33,887
8	दमण एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली	35,216
9	दिल्ली	9,30,116
10	गोवा	68,310
11	गुजरात	44,18,252
12	हरियाणा	15,55,227
13	हिमाचल प्रदेश	3,65,604
14	जम्मू एवं कश्मीर	8,63,504
15	झारखंड	30,45,538
16	कर्नाटक	51,53,724
17	केरल	19,49,831
18	लद्दाख	17,429
19	लक्षद्वीप	2,726
20	मध्य प्रदेश	62,76,168
21	महाराष्ट्र	80,16,574
22	मणिपुर	2,55,232
23	मेघालय	2,84,255
24	मिजोरम	88,922
25	नागालैंड	1,72,087
26	ओडिशा	39,94,202
27	पुदुच्चेरी	74,020
28	पंजाब	17,30,270
29	राजस्थान	53,37,014
30	सिक्किम	43,496
31	तमिलनाडु	40,87,528
32	तेलंगाना	24,58,216
33	त्रिपुरा	3,24,621
34	उत्तर प्रदेश	1,75,92,310
35	उत्तराखंड	7,74,732
36	पश्चिम बंगाल	78,56,087
कुल		**9,69,17,817**

*****

अनुबंध-2

लोक सभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2484 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर किए गए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या (दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल व्यक्ति (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40
3	असम	251.17
4	बिहार	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77
6	दिल्ली	72.78
7	गोवा	5.32
8	गुजरात	344.15
9	हरियाणा	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64
11	झारखंड	264.12
12	कर्नाटक	401.93
13	केरल	154.80
14	मध्य प्रदेश	511.32
15	महाराष्ट्र	700.17
16	मणिपुर	20.08
17	मेघालय	21.46
18	मिजोरम	6.68
19	नागालैंड	14.05
20	ओडिशा	325.03
21	पंजाब	141.51
22	राजस्थान	440.01
23	सिक्किम	3.79
24	तमिलनाडु	364.69
25	तेलंगाना	191.62
26	त्रिपुरा	24.32
27	उत्तर प्रदेश	1490.71
28	उत्तराखंड	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.61
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	2.73
32	लक्षद्वीप	0.22
33	चड़ीगढ़ (डीबीटी)	2.76
34	पुदुच्चेरी (डीबीटी)	6.34
35	जम्मू एवं कश्मीर	72.41
36	लद्दाख	1.44
कुल		**8003.69**

*****